भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून–248001
दूरभाशः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZO
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/एच.पी./09/64/2018/एफ.सी./2503 दिनांकः 07/02/2020

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हिमाचल प्रदेश सरकार,
आमर्सडेल बिल्डिंग,शिमला।

विषय : **Diversion of 8.9899 ha of forest land in favour of Manali Ropeways Pvt. Ltd. Solang Valley, Tehsil Manali, Distt. Kullu HP, for the construction of Manali Ropeway Project, within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, H.P.**

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवम् अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक एफ.टी. 48–3711/2018 (एफ.सी.ए.) दिनांक 18.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/HP/Others/31593/208 तथा नोडल अधिकारी एवम् अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एफ.टी. 48–3711/2018 (एफ.सी.ए.) दिनांक 14.09.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–24.04.2019 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी एवम् अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करना है कि केन्द्र **Diversion of 8.9899 ha of forest land in favour of Manali Ropeways Pvt. Ltd. Solang Valley, Tehsil Manali, Distt. Kullu HP, for the construction of Manali Ropeway Project, within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, H.P** हेतु **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपरण प्रस्ताव के अनुसार Dughilag-III में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 18.00 हे0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. **माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I A No. 3840 in WP (c) No. 202/1995 मे वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत् भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।**
4. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानो पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख मे उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 550 वृक्षों से अधिक न हो।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का R.C.C Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी/प्राधिकरण से आवष्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।
13. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
14. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
15. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर वन महानिदेशक (एफ.सी.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, अलीगंज, नयी दिल्ली – 110003
2. मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) एवम् नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला।
3. आदेश पत्रावली।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी